

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 59/23

GCMS NO 2023/136

1. हरकिशन
2. रामहेत जातियान माली निवासीयान काछीपुरा(करसाई) तहसील व जिला करौली अपीलांत

बनाम

1. रतनी बेबा बज्जा उर्फ बजरंगा
2. मुरारी पुत्र बज्जा उर्फ बजरंगा
3. रामप्रसाद पुत्र बज्जा उर्फ बजरंगा  
नाहर सिंह पुत्र नंगा  
जगदीश पुत्र नंगा  
हीरालाल पुत्र नंगा
4. रामचरण पुत्र छिंगा सभी जातियान माली निवासीयान काछीपुरा(करसाई) तहसील व जिला करौली

रेसपो

अभिभाषक अपीला० श्री अशोक सिंह  
अभिभाषक रेसपो० श्री विष्णु चंद बंसल

अपील संख्या - 58/23

GCMS NO 2023/135

1. रतनी बेबा बज्जा उर्फ बजरंगा
2. मुरारी
3. नाहर सिंह
4. जगदीश
5. हीरालाल पुत्रान बज्जा उर्फ बजरंगा सभी जातियान माली निवासीयान काछीपुरा(करसाई) तहसील व जिला करौली

अपीलांत

बनाम

1. रामचरण पुत्र छिंगा जाति माली निवासी काछीपुरा करसाई तहसील व जिला करौली
2. हरकिशन
3. रामहेत पुत्रान उकारंया जातियान माली निवासीयान काछीपुरा करसाई तहसील व जिला करौली

रेसपो

(अपीले विरुद्ध मु०नं० 3/18 निर्णय दिनांक 21.7.23 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली)  
अभिभाषक अपीला० श्री विष्णु चंद बंसल  
अभिभाषक रेसपो० श्री रामजीलाल अग्रवाल

दिनांक 20.01.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपीले अपीला० की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 21.7.23 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली पेश की है ।



  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
सवाई माधोपुर

प्रस्तुत दोनो अपीलो के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो/प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए के तहत इस आशय का पेश कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि ख0न0 633 में हमेशा से ख0न0 686 जिसका मिन न0 686/1472 है में आने जाने का कदीमी रास्ता रहा है। ट्रैक्टर ट्रौली आदि लाने ले जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। रास्ते की जमीन के लिए 20 फीट चौड़ाई के रास्ते की आवश्यकता है। हम अपनी आराजीयात को ख0न0 635 के पूर्व बताये हुए रास्ता से ग्राम खीपुरा(करसाई) से आते है और ख0न0 686 जिसका मिन न0 686/1472 है अप्रार्थी रामचरण हमारी रास्ता भूमि में निर्माण करने पर उतारू है इसलिए प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी की आराजीयात पर आने जाने हेतु भूमि ख0न0 686/1472 रकबा 2 बीघा 4 विस्वा किस्म बंजड ग्राम करसाई में से रास्ता 20 फीट चौड़ाई का अप्रार्थी रामचरण के खेत ख0न0 686/1472 में से दिलाया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थीगण द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागणों की अपील पर सुनी गई।

अपील संख्या 59/23 में अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है। रेस्पो0 संख्या 1 ता 6 ने अधिनस्थ न्यायालय में धारा 251 ए का प्रार्थना पत्र रेस्पो0 संख्या 7 रामचरण के विरुद्ध पेश किया था जिसमें रेस्पो0 संख्या 1 ता 6 के खेत ख0न0 633 को आने जाने का रास्ता एक मात्र रेस्पो0 संख्या 7 रामचरण के खेत ख0न0 686/1472 में होकर हमेशा से ट्रैक्टर ट्रौली व आवागमन साधन आने जाने का बताया गया है। इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं होना बताया गया है। रेस्पो0 संख्या 7 अपीलांटान से रजिश रखते है इसी कारण रेस्पो0 संख्या 7 ने उक्त रास्ते से बचने के लिए अपनी जबाबदेही में अपीलांटान के खेत में होकर रास्ता होना बताया है। अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया था जिसमें पक्षकारा बनाया गया है। पटवारी हल्का द्वारा वगैर मौके पर जाकर कोई जाँच किये बिना ही रेस्पो0 संख्या 7 के प्रभाव में आकर घर बैठकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। जहाँ रास्ता बताया गया है वहाँ अपीलांट की मकानियत बनी हुई है। जो कई वर्षों से बने हुए है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट का अधिनस्थ न्यायालय में ऐतराज किया गया था किन्तु उक्त ऐतराज पर कोई गौर नहीं कर मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। मौके पर अपीलांटान के मकान बने हुए है कोई रास्ता भूमि नहीं है ना ही कभी रहा है। अधिनस्थ न्यायालय में गवाहों ने अपने बयानों में ख0न0 633 को आने जाने का रास्ता ख0न0 686/1472 में होकर हमेशा से रहना बताया है इसी प्रकार अपीलांट को गवाहों ने भी इसी ख0न0 में होकर ख0न0 633 को आने जाने का रास्ता बताया है। इसी प्रकार रेस्पो0 संख्या 7 ने भी अपने खेत ख0न0

राजस्व अपील प्राधिकारी  
सवाई माधोपुर

686/1472 मे से रास्ता होना स्वीकार किया है एवं अपीलान्तान की मकानीयत बनी होना स्वीकृत तथ्य माना है। इसके बाबजूद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इस प्रकार अपीलान्त की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे।


अपील संख्या 59/23 मे रेस्पों के अधिवक्ता ने बहस के दौरान तर्क दिया कि प्रार्थीगण के खेत ख०न० 633 पर आने जाने हेतु पूर्व से ही ख०न० 686/1472 मे से ही पूर्व खेतदार किस्तुर चंद के समय से ही रास्ता चला आ रहा है। आबादी बनी होने के कारण कृषि भूमि आबादी मे कन्वर्ट नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय मे प्रकरण विचाराधीन रहते हुए रामचरण द्वारा निर्माण कराया है। ख०न० 633 आबादी भूमि नहीं है कृषि साधनों के लिए व मवेशी के लिए निर्माण कराने से कृषि भूमि आबादी नहीं होती है। सम्वत 2075 मे भी भूमि कृषि भूमि दर्ज है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार भूमि ख०न० 633 पर आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता एवं अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं होने पर ही सुलभ एवं सुगम रास्ता अपीलान्त की आराजीयात ख०न० 628 रकबा 1.04 है० मे से होना दर्शित कर ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के प्रावधानों के तहत ही रास्ता प्रदान किया गया है। इस प्रकार अपीलान्त की अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

अपील संख्या 58/23 मे अपीलान्त अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्त ने धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर ख०न० 633 की भूमि पर कदीमी रास्ता ख०न० 686 जिसका मिन न० 686/1472 मे से होकर ख०न० 635 व 634 की मेड के सहारे ख०न० 633 को है। प्रार्थीयान उसी रास्ते से आवागमन करते चले आ रहे है। इस रास्ता की विस्वारित चौड़ाई 20 फीट चाहता है। नक्शा शीट मे भी ख०न० 633 को रास्ता ख०न० 635 व 634 की मेड के सहारे ख०न० 686/1472 मे होकर स्पष्ट है। पटवारी व गिरदावर ने भी ख०न० 628 व 686/1472 महौली से काछीपुरा को आ रहे रास्ता की तरमीम ख०न० 686/1472 मे हो रही है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाने तौर पर ख०न० 628 की भूमि से रास्ता दिया गया है। जो अप्रार्थी रामचरण से मिलकर दिया गया है। रामचरण की कृषि भूमि जो ख०न० 634 एवं 635 के सहारे बताई है उसमे से प्रार्थीयान अपीलान्त सहारे बताई हुई है। उसमे होकर अपीलान्त का रास्ता है। डॉट लाईन से पटवारी ने ख०न० 686/1472 के दो पार्ट कर रखे है। जबकि नक्शा ट्रेस ने नक्शा शीट मे दर्शित नहीं किये हुए है ना ही अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे ऐसा करने को 686/1472 मे सडक को दर्शित करने के आदेश भी प्रदान नहीं किये है। ख०न० 686/1472 की बीच स्थित भूमि मे होकर ख०न० 633 को पहुँच मार्ग नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र पटवारी हल्का को आधार मानकर ही निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 14.9.20 मे अपीलान्त की भूमि 633 पर पहुँच का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होना बताया गया है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अवेध निर्णय पारित किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 11.9.20 मे स्पष्ट अंकन है कि ख०न० 633 को आने जाने हेतु कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी  
सवाई माधोपुर

रास्ता वर्तमान में मौजूद नहीं है। पटवारी हल्का ने मनमानी तौर पर नवीन रास्ता बनाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। जबकि अप्रार्थी रामचरण ने प्रार्थीयान अपीलान्ट द्वारा चाहे गये मार्ग में दौराने प्रकरण निर्माण कर रास्ता अवरुद्ध कर रखा है। जबकि सुगम रास्ता ख0न0 686/1472 की भूमि में ही होकर है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जबाब एवं नक्शा शीट व साक्ष्य का विधिवत विवेचन नहीं कर निर्णय पारित किया गया है। ख0न0 633 कृषि भूमि है और ख0न0 686 में ही होकर साबिक किस्तुर चंद जैन के समय से ही रास्ता रहा है। सीधा रास्ता ख0न0 686/1472 से ही है। प्रदर्श 9 बयान जो रेस्पो0 रामचरण ने तहसीलदार को जौद में दिया है उसमें रास्ता ख0न0 686/1472 जो रामचरण ने किस्तुर चंद जैन से खरीदा है उसमें होकर ख0न0 630,631 एवं 633 की भूमि के लिए पगडंडी वर्तमान में बनी हुई है जो पैदल रास्ता के लिए पर्याप्त है परन्तु ट्रेक्टर ट्रौली के लिए नहीं क्योंकि मेरे ख0न0 686/1472 में फसल खड़ी हुई है जिसमें ट्रेक्टर ट्रौली के लिए नहीं क्योंकि मेरे ख0न0 686/1472 में फसल खड़ी हुई है। जिसमें ट्रेक्टर ट्रौली के लिए रास्ता प्रदान किया जाना संभव नहीं है। रतनी वगैरे के ख0न0 के लिए जाने आने के लिए समय समय पर तारबंदी को खोलकर रास्ता प्रदान किया जाता रहा है। यह बयान रामचरण ने दिनांक 19.2.19 को लेखबद्ध किया हुआ है। जिस पर रामचरण के हस्ताक्षर हैं। इसी रास्ता की चौड़ाईकरण 20 फीट किये जाने का आवेदन अपीलान्ट द्वारा धारा 251 ए के तहत किया गया है। यह रास्ता ग्राम काछीपुरा के आम रास्ता ख0न0 635 से लगा हुआ है से होकर ख0न0 635 एवं 634 के सहारे ख0न0 686/1472 की मांग की है। अपीलान्ट के पास वैकल्पिक रास्ता नहीं है। यह प्रमाणित है। जो रिपोर्ट पटवारी हल्का से स्पष्ट है। इस प्रकार अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर ख0न0 633 में आने जाने हेतु रास्ता ख0न0 686/1472 की भूमि में होकर प्रदान किया जावे।

अपील संख्या 58/23 में रेस्पो0 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान तर्क दिया कि अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। ख0न0 686/1472 में से होकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण का कभी रास्ता नहीं रहा है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नक्शा में बताये लाल रंग पर रेस्पो0 का पुख्ता मकान बना हुआ है। जो काफी असे का है। ख0न0 633 में जाने के लिए दूसरा रास्ता मौजूद है। जो अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नक्शा से स्पष्ट है। ख0न0 686/1472 में दो सड़क काछीपुरा से करसाई डामर रोड तथा दूसरी काछीपुरा से महौली ग्रेवल सड़क निकल रही है। अपीलान्ट ग्रेवल सड़क से ख0न0 628 के सहारे सहारे ख0न0 633 में प्रवेश करते हैं। यही अपीलान्ट/प्रार्थीगण का सुगत रास्ता है। ख0न0 628 में खातेदार आवश्यक पक्षकार होने के कारण ही प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत सबसे सुगम रास्ता ख0न0 628 में से होने पर ही राजस्थान काश्कारी नियम 1955 के नियम 70 के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि नियमानुसार वितरीत करने की शर्त पर सार्वजनिक उपयोग हेतु गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश विधि के अनुरूप दिये गये हैं। इस प्रकार अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाई जावे।

  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
सवाई माधोपुर

उभयपक्ष अधिवक्तागणों की बहस पर मनन किया गया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि प्रार्थीगण/रेस्पोंडेंट 1 ता 6 द्वारा अपनी आराजीयात ख०न० 633 पर कोई बैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं होने तथा पूर्व से चालू रास्ता आराजीयात ख०न० 686/1472 में से 20 फीट चौड़ाई के रास्ते हेतु प्रार्थना की गई थी। रेस्पोंडेंट/प्रार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय प्रार्थना पत्र अप्रार्थी रामचरण के विरुद्ध पेश किया था जिसमें खेत ख०न० 633 को आने जाने का रास्ता एक मात्र रामचरण के खेत ख०न० 686/1472 में होकर हमेशा से ट्रैक्टर रोली व आवागमन साधन आने जाने का बताया गया है। इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं होना बताया गया है। रेस्पोंडेंट/प्रार्थीगण द्वारा रास्ता आराजीयात ख०न० 686/1472 जो कि रामचरण की खातेदारी में दर्ज है में से चाहा गया था। अन्य किसी भी आराजीयात में से रास्ता प्राप्त करने की प्रार्थना प्रार्थीगण द्वारा नहीं की गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरुद्ध रूप से अपीलांत की आराजीयात ख०न० 628 में से रास्ता प्रदान किया गया है। जो विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। इस प्रकार अपीलांत की अपील स्वीकार योग्य है।

अतः उक्त दोनों अपीले स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली के प्रकरण संख्या 3/18 निर्णय दिनांक 21.7.23 को अपास्त किया जाता है। किसी खातेदार की आराजीयात पर पहुँच हेतु रास्ता एक अत्यधिक आवश्यकता है। अतः अपीलांत/प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात ख०न० 633 ग्राम करसाई के कृषि आवागमन हेतु 20 फीट चौड़ा रास्ता ख०न० 686/1472 ग्राम करसाई तहसील करौली में से प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शा बरंग सुख में रास्ता प्रदान करने के आदेश दिये जाते हैं। अपीलांत इस रास्ते हेतु काम आने वाली भूमि की डी एल सी दर की दो गुना राशि भूमि ख०न० 686/1472 के खातेदार को अदायगी की जावे। तहसीलदार करौली को निर्देशित किया जाता है कि रास्ते के काम आने वाली भूमि का डी एल सी दर की दो गुना राशि का निर्धारण कर, निर्धारित राशि संबंधित खातेदार को अदायगी होने पर राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को पालनार्थ प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में पृथक पृथक संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.01.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
सवाई माधोपुर